रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012023-243299
CG-DL-E-31012023-243299

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 30, 2023/माघ 10, 1944
No. 61] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 30, 2023/MAGHA 10, 1944

IndiaCode

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2023

सं. केविप्रा-टीएच-17-13/4/2022-टीईटीडी प्रभाग.—विद्युत (पूर्व प्रकाशन के लिए प्रक्रिया) नियम, 2005 के नियम (3) के उप-नियम (2) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 177 की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों का लचीला संचालन) विनियम, 2022 का प्रारूप को छह दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त प्रारुप विनियमों में अंतर्विष्ट समाचार पत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई तारीख से 46 दिनों की अवधि के समाप्त होने से पूर्व इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचनाओं वाले उक्त समाचार पत्रों और उक्त प्रारुप विनियमों की प्रतियां जनता को 12 जुलाई, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारुप विनियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया था;

अत: अब विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73 के खंड (ख) के साथ पठित धारा 177 की उप-धारा (2) के खंड (ङ), के अनुसरण में , केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों का लचीला संचालन) विनियम, 2023 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं**- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) "लचीला संचालन" से कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों की ग्रिड की आवश्यकता के अनुसार इन विनियमों में उल्लिखित निर्दिष्ट स्तरों पर विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता अभिप्रेत है;

(ग) "अधिकतम निरंतर विद्युत रेटिंग" से जनरेटर टर्मिनलों पर मेगा वाट में व्यक्त अधिकतम निरंतर विद्युत उत्पादन, रेटेड मापदंडों पर उत्पादन इकाइयों के विनिर्माता द्वारा गारंटीकृत है; अभिप्रेत है

(घ) "न्यूनतम विद्युत स्तर" से अधिकतम निरंतर विद्युत रेटिंग के प्रतिशत में व्यक्त न्यूनतम विद्युत उत्पादन, जिसे कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन इकाई बिना तेल सहायता के लगातार बनाए रख सकती है; अभिप्रेत है

(ङ) "रैंप दर" से अधिकतम निरंतर विद्युत रेटिंग के प्रतिशत में विद्युत उत्पादन के परिवर्तन की प्रति मिनट में व्यक्त दर अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में हैं।

3. **लागू होना –** ये विनियम केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों के स्वामित्व या नियंत्रण में या ग्रिड से जुड़ी किसी भी प्राइवेट कंपनी के स्वामित्व वाली सभी कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों और भार प्रेषण केंद्रों पर लागू होंगे।

4. **साधरण अपेक्षाएँ -** (1) कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों को उस स्थान पर प्रचलित परिवेशी और पर्यावरणीय परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला के लिए इन विनियमों का अनुपालन करने के लिए, यदि अपेक्षित हो, डिजाइन या उपयुक्त रूप से रेट्रोफिट किया जाएगा।

(2) स्थापित सभी उपकरण और प्रणालियाँ, यथा लागू , विनियमों और सुरक्षा कोडों के उपबंधों का पालन करेंगी।

5. **कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों का लचीला संचालन**- (1) कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन इकाइयां इन विनियमों के अनुसार लचीला संचालन प्रदान करने में सक्षम होंगी।

(2) कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों के लचीले संचालन का कार्यान्वयन समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट चरणबद्ध योजना के अनुसार होगा।

(3) सभी भार प्रेषण केंद्र अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों को, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट लचीले संचालन क्षमताओं पर विचार करते हुए, शेड्यूल करेंगे ।

6. **लचीले संचालन के लिए कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों की न्यूनतम विद्युत स्तर की क्षमता**- कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों में चालीस प्रतिशत के न्यूनतम विद्युत स्तर का लचीला संचालन क्षमता होगा।

परंतु उत्पादन इकाइयां जो पचपन प्रतिशत के न्यूनतम विद्युत स्तर को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें इन विनियमों की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर यह सक्षमता प्राप्त करनी होगी।

परंतु यह और कि उत्पादन इकाइयां जो चालीस प्रतिशत के न्यूनतम विद्युत स्तर को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें इन विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (2) में उल्लिखित चरणबद्ध योजना के अनुसार यह सक्षमता प्राप्त करनी होगी ।

7. **लचीला संचालन के लिए कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों की रैम्प दर क्षमताएं**- (1) कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों में अधिकतम निरंतर विद्युत रेटिंग के सत्तर प्रतिशत से सौ प्रतिशत के बीच उनके संचालन के लिए न्यूनतम तीन प्रतिशत प्रति मिनट की रैंप दर क्षमता होगी और अधिकतम निरंतर विद्युत रेटिंग के पचपन प्रतिशत से सत्तर प्रतिशत के बीच उनके संचालन के लिए न्यूनतम दो प्रतिशत प्रति मिनट की रैंप दर क्षमता होगी।

परंतु उत्पादन इकाइयां जो इस विनियम का अनुपालन करने में सक्षम नहीं हैं, इन विनियमों की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर इसका अनुपालन करेंगी।

(2) कोयला आधारित तापीय विद्युत उत्पादन इकाइयां इन विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (2) में उल्लिखित चरणबद्ध योजना के अनुसार अधिकतम निरंतर विद्युत दर के चालीस प्रतिशत से पचपन प्रतिशत के बीच उनके संचालन के लिए न्यूनतम एक प्रतिशत प्रति मिनट की रैंप दर क्षमता प्राप्त करेंगी।

8. **विनियमों का शिथिलीकरण** - प्राधिकरण, मामला दर मामला आधार पर, प्राधिकरण को निर्दिष्ट मामले के संबंध में लेखबध्द किए जाने वाले कारणों के लिए और आदेश द्वारा इन विनियमों के किसी उपबंध कों शिथिल कर सकेगा ।

राकेश गोयल, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./588/2022-23]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2023

CEA-TH-17-13/4/2022-TETD Division.—Whereas the draft of the Central Electricity Authority (Flexible Operation of Coal based Thermal Power Generating Units) Regulations, 2022 was published in six newspaper dailies, as required by sub-section (3) of Section 177 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with sub-rule (2) of rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-six days, from the date on which the copies of the newspaper containing the said draft regulations were made available to the public;

And whereas copies of the said newspapers containing the public notices and the said draft regulations on the website of the Central Electricity Authority were made available to the public on the 12th July, 2022;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft regulations were considered by the Central Electricity Authority;

Now, therefore, in pursuance of clause (e) of sub-section (2) of Section 177 of the Electricity Act, 2003 read with clause (b) of Section 73 of the said Act, the Central Electricity Authority hereby makes the following regulations, namely:

1. **Short title and commencement.-** (1)These regulations may be called the Central Electricity Authority (Flexible Operation of Coal based Thermal Power Generating Units) Regulations, 2023.

(2)They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1)In these regulations, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(b) "flexible operation" means the ability of coal based thermal power generating units to generate power at specified levels mentioned in these regulations, as per the requirement of the grid;

(c) "maximum continuous power rating" means maximum continuous output power expressed in Mega Watt at the generator terminals as guaranteed by the manufacturer of generating units at the rated parameters;

(d) "minimum power level" means the minimum output power expressed in percentage of maximum continuous power rating that the coal based thermal power generating unit can sustain continuously without oil support;

(e) "ramp rate" means the rate of change of output power, expressed in percentage of maximum continuous power rating, per minute.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act and the rules made thereunder shall have the meanings assigned to them in that Act and rules made thereunder.

3. **Applicability.-** These regulations shall apply to all coal based thermal power generating units owned or under control of the Central Government, State Governments or owned by any private company, connected with the grid and to the load despatch centers.

4. **General requirements.-** (1) The coal based thermal power generating units shall be designed or suitably retrofitted, if required, to comply with these regulations for full range of ambient and environmental conditions prevailing at the site.

(2) All equipment and systems installed shall comply with the provisions of statutes, regulations and safety codes, as applicable.

5. **Flexible operation of coal based thermal power generating units.-** (1) The coal based thermal power generating units shall be capable of providing the flexible operation as per these regulations.

(2) The implementation of flexible operation of the coal based thermal power generating units shall be as per the phasing plan specified by the Authority from time to time.

(3) All load despatch centers shall schedule the coal based thermal power generating units, under their jurisdiction, considering the flexible operation capabilities as specified in these regulations.

6. **Minimum power level capabilities of coal based thermal power generating units for flexible operation**.- The coal based thermal power generating units shall have flexible operation capability with minimum power level of forty percent.

Provided that the generating units which are not capable of achieving minimum power level of fifty-five percent, shall achieve the same within one year of the notification of these regulations.

Provided further that the generating units which are not capable of achieving minimum power level of forty percent, shall achieve the same as per phasing plan mentioned in the sub-regulation (2) of regulation 5 of these regulations.

7. **Ramp rates capabilities of coal based thermal power generating units for flexible operation**.- (1) The coal based thermal power generating units shall have ramp rate capability of minimum three percent per minute for their operation between seventy percent to hundred percent of maximum continuous power rating and shall have ramp rate capability of minimum two percent per minute for their operation between fifty-five percent to seventy percent of maximum continuous power rating.

Provided that the generating units which are not capable to comply with this regulation, shall comply with the same within one year of the notification of these regulations.

(2) The coal based thermal power generating units shall achieve ramp rate capability of minimum one percent per minute for their operation between forty percent to fifty-five percent of maximum continuous power rating as per phasing plan mentioned in the sub-regulation (2) of regulation 5 of these regulations.

8. **Relaxation of regulations. -** The Authority may, by an order and for the reasons to be recorded in writing, relax any provision of these regulations in respect of the matter referred to the Authority, on case to case basis.

NotCode

RAKESH GOYAL, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./588/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.01.31 15:35:02 +05'30'